झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 02.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	"राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय संकल्प सं0–3586/रा0, दिनांक– 23.09.2019 द्वारा साहेबगंज/खासमहल की भूमि को फ्रीहोल्ड करने से संबंधित संकल्प में निहित तथ्यों के अनुसार खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड कराकर भूमि की रजिस्ट्री/निबंधन कराये जाने का आदेश निर्गत किया गया था, परन्तु आदिनांक विभागीय संकल्प के आलोक में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और न ही भूमि की रजिस्ट्री/निबंधन हुई है। साथ ही वर्णित प्रकृति की भूमि को फ्रीहोल्ड करने व रजिस्ट्री/निबंधन की दर में कटौती करने से संबंधित तथ्यों के लिए संकल्प के आलोक में इसे सरलीकृत/वर्त्तमान दर में कटौती करते हुए आदेश निर्गत करे, जिससे यहाँ वर्षो से निवासित लोगों का रजिस्ट्री/निबंधन में आसानी हो सके। साथ ही इस प्रकृति की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1398 लाभुकों के विरूद्ध 548 जरूरतमंद लोगों का भी आवास निर्माण का लाभ प्राप्त हो सके। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए साहेबगंज खासमहल भूमि को फ्रीहोल्ड करने तथा रजिस्ट्री/निबंधन दर में कटौती कर रजिस्ट्री व अन्यान्य भूमि संबंधी सरलीकृत प्रक्रिया प्रारम्भ करायी जाय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुकों को आवास निर्माण हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाय, इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
02-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा 2016 में पोषण अभियान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत् झारखण्ड के छः जिलों चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा में आंगनबाड़ी केन्द्र में 10,000 से ज्यादा पोषण सखी का चयन किया गया था। लेकिन गत 10 माह से इनका मानदेय बंद कर दिया गया है। झारखण्ड जहाँ कुपोषण व किशोरियों की सशक्तिकरण व स्वास्थ्य सुधार महत्वपूर्ण बिंदु है। वहाँ इस तरह के कार्यक्रमों पर बल देने के बजाय इन्हें ही हटाने की तैयारी चल रही है। इनके सामने स्वयं स्वपोषण की समस्या आ गई है। अतः उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
03-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	हजारीबाग जिला अन्तर्गत केरेडारी प्रखंड के चट्टी बारियातू पंचायत में एनटीपीसी एवं उनके अधीनस्थ कंपनी के द्वारा कोयला खनन कार्य प्रस्तावित है। कंपनी प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किए बिना, आरएनआर की पॉलिसी, रोजगार एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित किए बगैर किसी भी प्रकार का ग्रामसभा या स्थानीय ग्रामीणों से सहमति एवं जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी प्रकार का त्रिपक्षीय वार्ता किए वन कटाई करने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को किस प्रकार विस्थापित किया जाएगा, कितना मुआवजा मिलेगा, क्या रोजगार मिलेगा इस पर कोई भी ठोस निर्णय लिए बगैर खनन कार्य शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मैं चट्टी बारियातू कोल खनन परियोजना से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों को उचित मुआवजा, रोजगार	खान एवं भूतत्व

क्र0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		हक एवं अधिकार दिलाने समेत भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं वन अधिकार अधिनियम-2006 लागू कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
04-	श्री समीर कुमार मोहंती स0वि0स0	4 जनवरी, 2022 से झारखण्ड में सोशल ऑडिट यूनिट (S.A.U.) के द्वारा मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है जिसका ग्रामसभा लगातार विरोध कर रही है मनरेगा के अनुच्छेद-17 (2) में कहा गया है कि ग्राम सभा मनरेगा के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सोशल ऑडिट करेगी अनुच्छेद-17(3) में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि सामाजिक अंकेक्षण हेतु सभी जरूरी कागजात की प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध कराएं जिसके तहत 2011-12, 2013-14 तक झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार ग्रामसभा द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया, परन्तु झारखण्ड में पिछले कुछ वर्षो से सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी सोशल ऑडिट यूनिट को दिया गया है जो ग्राम सभा के अधिकार का हनन है। अतः लोकहित में उक्त विषय पर संज्ञान लेकर सोशल ऑडिट यूनिट के द्वारा कराये जा रहे मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण को तत्काल स्थगित करते हुए ग्राम सभा के द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण टीम से सामाजिक अंकेक्षण कराने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
05-	श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0	हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक, पदमा प्रखण्ड के सैकड़ो गाँवों में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा Eco Sensative Zone घोषित किये जाने के कारण प्रभावित गाँवो में संचालित छोटे-छोटे दूकान, होटल पेट्रोल पंप, क्रशर, खनन उद्योग एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों-	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		को बंद करने का आदेश निर्गत किया गया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में बेरोजगारी की घोर समस्या उत्पन्न हो रही है और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अतः उक्त प्रखण्डों के प्रभावित गाँवों के स्थानीय प्रभावित ग्रामीणों के समक्ष उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु Eco Sensative Zone नियमावली को संशोधित करते हुए पूर्व से संचालित दूकान, होटल, पेट्रोल पंप, क्रशर, खनन उद्योग एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को यथावत संचालित करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2022-773/वि० स०, राँची, दिनांक- 01/03/2022

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-01/2022-773/वि० स०, राँची, दिनांक- 01/03/2022

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/03/22